भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †5869

सोमवार, 30 मार्च, 2026/9 चैत्र, 1948 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

सरगुजा में पर्यटन अवसंरचना का विकास

†5869. श्री चिन्तामणि महाराज:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में पर्यटन अवसंरचना के विकास और पर्यटन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के सहयोग से कोई योजना लागू करने के लिए कोई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत पांच वर्षों के दौरान कितनी वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की गई है;

(ग) इन पहलों से पर्यटन को किस प्रकार बढ़ावा मिलने और स्थानीय आबादी के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है; और

(घ) इस क्षेत्र में पर्यटन सुविधाओं को और सुदृढ़ करने के लिए प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (घ): पर्यटन स्थलों और उत्पादों का विकास और संवर्धन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। हालांकि, पर्यटन मंत्रालय अपनी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं जैसे- 'स्वदेश दर्शन (एसडी)', 'स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी 2.0)', चुनौती आधारित गंतव्य विकास (सीबीडीडी) - एसडी 2.0 की एक उप-योजना और 'तीर्थस्थल कायाकल्प एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद) के माध्यम से राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को, उनसे योजना दिशानिर्देशों एवं सरकारी निर्देशों के अनुरूप विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) की प्राप्ति पर तथा निधियों की उपलब्धता, पारस्परिक प्राथमिकता आदि के अध्यधीन वित्तीय सहायता प्रदान करके, उनके पर्यटन अवसंरचना विकास के प्रयासों को संपूरित करता है।

इसके अलावा, भारत सरकार ने वर्ष 2024-25 में 'राज्यों को पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता (एसएएससीआई) - वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों का विकास' नामक योजना के तहत पर्यटन परियोजनाओं के विकास के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की है।

छत्तीसगढ़ राज्य में एसडी, एसडी 2.0, सीबीडीडी, प्रशाद और एसएएससीआई योजनाओं के तहत मंत्रालय द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

गंतव्यों पर पर्यटन सुविधा को बेहतर बनाने वाले विभिन्न घटकों की मंज़ूरी पर विचार किया जाता है, जिसमें पर्यटन के मुख्य उत्पादों, पर्यटन संबंधी गतिविधियों, सुरक्षा, स्वच्छता, संपर्कता, पार्किंग, सामान्य स्थल विकास, सॉफ्ट इंटरवेंशन आदि से संबंधित घटक शामिल हैं। मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को स्थानीय समुदायों के साथ जुड़ने और पूरी हो चुकी परियोजनाओं के सुदृढ़ प्रचालन एवं रखरखाव (ओएंडएम) को सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, ताकि, पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो सके, स्थानीय रोजगार का सृजन हो सके और समग्र पर्यटक संतुष्टि में सुधार हो सके। इसके अलावा, पर्यटन मंत्रालय छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों और उत्पादों का वेबसाइट, कार्यक्रमों, सोशल मीडिया आदि जैसे विभिन्न प्रचार साधनों के माध्यम से समग्र रूप से संवर्धन करता है।

*****

अनुबंध

श्री चिन्तामणि महाराज द्वारा सरगुजा में पर्यटन अवसंरचना के विकास के संबंध में दिनांक 30.03.2026 को पूछे जाने वाले लोक सभा के लिखित प्रश्न संख्या †5869 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में **विवरण**

छत्तीसगढ़ राज्य में एसडी, एसडी 2.0, सीबीडीडी, एसएएससीआई और प्रशाद के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण:

योजना	**परियोजना का नाम**	**स्वीकृति वर्ष/परिपथ**	**स्वीकृत राशि (करोड़ रु. में)**
स्वदेश दर्शन	जशपुर - कुनकुरी - मैनपाट - कमलेशपुर - महेशपुर - कुरदर - सरोधादादर - गंगरेल - कोंडागांव - नथियानवागांव - जगदलपुर - चित्रकूट - तीर्थगढ़ का विकास	जनजातीय परिपथ 2015-16	96.10
स्वदेश दर्शन 2.0	भोरमदेव कॉरिडोर विकास, कवर्धा	2024-25	145.99
सीबीडीडी	इको पर्यटन गंतव्य के रूप में मायाली बगीचा का विकास	2024-25	9.97
एसएएससीआई	रायपुर में चित्रोत्पला फिल्म सिटी का विकास	2024-25	95.79
	रायपुर में आदिवासी और सांस्कृतिक सम्मेलन केंद्र का विकास	2024-25	51.87
प्रशाद	माँ बम्लेश्वरी देवी मंदिर, डोंगरगढ़, राजनंदगांव जिला, छत्तीसगढ़ का विकास	2020-21	48.44

*****